



यूजेवीएन लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

U J V N Limited

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

मानव संसाधन विभाग, "यमुना भवन", यमुना कालोनी, देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)

Human Resources Department, "Yamuna Bhawan", Yamuna Colony, Dehradun - 248 001(Uttarakhand)

दूरभाष/Phone-0135-2530030/2530061/2530584/2530909/2531975 फ़ैक्स/Fax-0135-2531343/2531646 Website: www.ujvnl.com CIN No. U40101UR2001SGC025866

ISO 9001 : 2008 Certified

संख्या : 3461 / यूजेवीएन लि / 05 / औ0सं0 / एम-4

दिनांक: 19-04-2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा, यूजेवीएन लिमिटेड के कार्यालय ज्ञापन सं0 6180/यूजेवीएनएल/05/कार्मिक/अनु0-3/एम-4/भारत हार्ट इन्स्टीट्यूट दिनांक 15.07.2015 एवं भारत हार्ट इन्स्टीट्यूट, 55-ई0सी0रोड़, देहरादून के पत्र संख्या शून्य दिनांक 22.01.2018 द्वारा दी गई लिखित सहमति के क्रम में भारत हार्ट इन्स्टीट्यूट, 55-ई0सी0 रोड़, देहरादून को यूजेवीएन लिमिटेड के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक एवं उन पर पूर्णतया आश्रित परिजन तथा पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद/उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के, वे सेवानिवृत्त कार्मिक जो यूजेवीएन लिमिटेड में आमेलित हैं एवं सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक की मृत्यु की अवस्था में उसकी आश्रित पत्नी (पारिवारिक पेंशनर) को चिकित्सालय में नियमानुसार भर्ती के दौरान/बाहय रोगी की हैसियत से उपचार कराये जाने पर हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अग्रेतर दिनांक 01.07.2017 से दिनांक 30.06.2019 तक 02(दो) वर्ष के लिये मान्यता विस्तारित की जाती हैं।

- उक्त चिकित्सालय संलग्न दर सूची में दर्शाई गई वास्तविक दर पर चार्ज करते हुए दर सूची में अंकित */** मार्क प्रोसीजरों पर 10/15 प्रतिशत की निर्धारित छूट प्रदान करते हुए सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से सीधे भुगतान प्राप्ता करेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा।
- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के आदेश सं0 4452-ओस-17/पाकालि/2002-II(II)एफ/80 दिनांक 09.12.2002 के किसी/किन्हीं प्राविधान/प्राविधानों का उल्लंघन की स्थिति में चिकित्सालय की मान्यता निम्न बिन्दुओं पर कभी भी समाप्त की जा सकती है एवं उक्त आदेश के बिन्दु 06 की व्यवस्था के अनुसार चिकित्सालय प्रबन्धन को निगम द्वारा प्रदत्त दरों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने एवं पारित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने पर मान्यता समाप्त किये जाने की सहमति (प्रारूप संलग्न) रू0 100.00 के नान ज्यूडीशियल स्टाम्प पर यह आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर उपलब्ध करानी होगी।
- यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा निर्गत मान्यता सम्बन्धी आदेश की निम्न किसी एक भी बिन्दु की अवहेलना करने पर अस्पताल की मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
 - किसी बिल में निर्धारित दरों से अधिक राशि लेने की शिकायत का समाधान न होने पर।
 - दर सूची में जो मद देय नहीं हैं, किन्तु वह अस्पताल के बिल में सम्मिलित हैं, को मान्यता का उल्लंघन माना जायेगा।
 - अगर अस्पताल पुलिस केस में, कन्ज्यूमर फोरम में अथवा न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है, तो उसकी मान्यता तुरन्त समाप्त कर दी जायेगी।
 - अगर किसी अस्पताल के विरुद्ध मरीजों द्वारा लापरवाही या असहयोग की शिकायत आती है, तो उसकी मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
- उपरोक्त संदर्भित आदेशों की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

Dy. No. 218 / DGM (IT)/UJVNL निदेशक (मा0सं0)

File Mark. N-2


Dated. 29/5/18

Shri N K Singh, AE

संख्या 3461/यूजेवीएन लि/05/औ0सं0/एम-4, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
3. निदेशक (परिचालन)/ (परियोजनाएं)/ (वित्त)/ (मा0सं0), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
4. अधिशासी निदेशक (जानपद)/ (वि0/या0)/ (वित्त)/ (मा0सं0), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
5. समस्त महाप्रबन्धक, यूजेवीएन लिमिटेड को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने अधीनस्थ कार्यालयों को इस आदेश की प्रति अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
6. कम्पनी सचिव, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
7. उपमुख्य लेखाधिकारी/ वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी, यूजेवीएन लिमिटेड।
8. वरिष्ठ विधि अधिकारी, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
9. वरिष्ठ प्रबन्धक (आई0टी0), यूजेवीएन लिमिटेड देहरादून को निगम की वेबसाइट पर "चिकित्सालयों की मान्यता शीर्षक के अन्तर्गत" अपलोड करने हेतु।
10. डा0 चेतन शर्मा, भारत हार्ट इन्स्टीट्यूट, 55-ई0सी0 रोड, देहरादून।
11. अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद-उत्तराखण्ड, 21-फील्ड होस्टल, उर्जा भवन, कांवली रोड, देहरादून।
12. महामंत्री, विद्युत पेंशनर्स कल्याण समिति, फतेहपुर रोड, हरबर्टपुर (देहरादून)।


(राजेन्द्र सिंह)
उपमहाप्रबन्धक (औ0सं0)
19/04/18

